न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 104/2017

बउनवान

मनोज आयु 45 वर्ष पुत्र श्री देवीदत्त गाडिया जाति–महाजन निवासी–बारां तहसील–बारां जिला–बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 24.12.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 25.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–मण्डोला, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 693, 692 रकबा 0.31 हैक्टर पर ईट भट्टा लगाकर, बिना रूपान्तकरण कराये अकृषि कार्य करने के लिये पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर, उक्त आराजी से बेदखल कर, 5813/–रूपये अर्थदण्ड, ईट भट्टा जप्ती, नीलामी एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया है।

अपीलांट ने अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया है, सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है। यह आराजी खातदारी की भूमि है जिसके खातेदार लियाकत हुसैन पुत्र अब्दुल रजाक है। मौजूदा नियम राजस्थान सरकार के सरकुलर के अनुसार 4000 वर्गगज तक की भूमि को गैर कृषि प्रयोजना हेतु ईट भट्टा लगाने हेतु रूपान्तरण कराने की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.2.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रोपर तामील कराये अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर विधि विरूद्ध तरीके

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
जिला कलक्टर बारां (राज०)

से एकतरफा आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को खातेदारी भूमि पर अकृषि कार्य ईट भट्टा लगाने का दोषी मानकर उक्त आदेश पारित किया है। विवादित आराजी खातेदार लियाकत हुसैन की है। खातेदारी भूमि पर 4000 वर्गगज तक बिना रूपान्तकरण गैर कृषि कार्य ईट भट्टे का संचालन किया जा सकता है। अपने कथन के समर्थ में राज्य सरकार राजस्व(ग्रुन–6)विभाग, जयपुर के परिपत्र एफ.6(6)/92/पीटी/14 दिनांक 02.04.2007 की प्रति पेश की। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.2.2016 निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध किया।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई व जवाबदेहीं का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है। अपीलांट ने खाते व राजकीय भूमि पर बिना स्वीकृति के ईट भट्टा लगा कर अतिक्रमण किया हुआ है तथा अपीलांट को पूर्व में भी अतिक्रमण करने पर मि0नं0 01/14 निर्णय दिनांक 10.04.2014 से बेदखल किया गया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर नहीं गया है तथा खातेदारी भूमि पर 4000 वर्गगज तक ईट भट्टा लगाने हेतु रूपान्तकरण की आवश्यकता नहीं है। जबकि पेरोकार सरकार का कथन है कि अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन व विवेचित [illegible] से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई व जवाबदेहीं का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने में मिसल नम्बर 01/2014 निर्णय दिनांक 10.4.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अपीलांट द्वारा किया गया कथन कि 4000 वर्गगज तक ईट भट्टा लगाने के लिये रूपान्तकरण की आवश्यकता नहीं है, यह कथन इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ[illegible].सिंह)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

निर्णय पारित करते समय न तो वैधानिक रूप से कोई नोटिस दिया गया है और ना ही